

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश : दिल्ली

फार्म - 2

(नियम 54 (12) देखें)

## परिवार का विवरण

सरकारी कर्मचारी का नाम : .....

पद : .....

कर्मचारी कूट संख्या : .....

वर्तमान में तैनाती न्यायालय/अनुभाग : .....

जन्म की तारीख : .....

नियुक्ति की तारीख : .....

..... तारीख को मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	परिवार के सदस्यों का नाम	जन्म की तारीख	सरकारी अधिकारी/कर्मचारी से रिश्ता	अभ्युक्ति/टिप्पणी

मैं अपने परिवार में हुए किसी भी परिवर्तन या परिवर्धन की सूचना, कार्यालय अध्यक्ष को देकर उपर्युक्त विवरण/सूचना को अद्यतन (अप-टू-डेट) बनाए रखने का वचन देता/देती हूँ।

स्थान.....

दिनांक.....

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

- \* इस प्रयोजन के लिए परिवार का अभिप्राय केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के उपनियम (14) के खंड (ख) में यथापरिभाषित परिवार से है।
- \* पत्नी और पति में न्यायिक रूप से पृथक पत्नी और पति शामिल हैं।
- \* इस प्रयोजन के लिए परिवार से तात्पर्य है :-
  - (क) पुरुष सरकारी कर्मचारी के मामले में पत्नी।
  - (ख) महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में पति।
  - (ग) अठारह वर्ष से कम आयु के पुत्र और इक्कीस वर्ष से कम आयु की अविवाहित पुत्रियाँ। इसमें सेवानिवृत्ति से पूर्व कानूनी तौर पर दत्तक ग्रहण किए गए पुत्र और पुत्रियाँ भी शामिल हैं।